संख्या-/594/33-3-2020-33/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 29 जून, 2020

विषयः 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतों हेतु वर्ष 2020- 21 के लिए संस्तुति बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या-15(2) FC-XV/FCD/2020-25, दिनांक-01.06.2020 द्वारा 15वें वित्त आयोग के सम्बन्ध में आॅपरेशनल गाईडलाइन निर्गत किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष-2020-21 के लिए अपनी एक अन्तरिम संस्तुति दी है। 15वां वित्त आयोग की संस्तुतियां वर्ष 2020-25 के लिए लागू की जाएगी। कालान्तर में वित्त आयोग को 02 रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस क्रम में यह प्रथम रिपोर्ट 2021 के लिए है तथा अन्तिम रिपोर्ट 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए होगी। भारत सरकार ने दिनांक 21.01.2020 को 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार कुल रू. 90000 करोड़ की धनराशि सभी प्रदेशों के मध्य आवंटित की जानी है, इसमें ग्रामीण निकायों के लिए वर्ष-2020-21 के लिए रू0 60750 करोड़ की धनराशि रखी गयी है। वित्त आयोग की संस्तुतिओं के अनुसार उपर्युक्त धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा बेसिक ग्रान्ट (अनटाईड फण्ड) होगा तथा शेष 50 प्रतिशत टाइड ग्राण्ट के रूप में होगा।

2- उत्तर प्रदेश को वर्ष-2020-21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्राप्त होने वाली कुल धनराशि रूपये 9752 करोड़ है, जिसमें बेसिक ग्राण्ट (अनटाईड) रूपये 4876 करोड़ है तथा बेसिक ग्राण्ट (टाईड) 4876 करोड़ है। बेसिक ग्रान्ट की दूसरी किश्त पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसा पर प्रदेश को अवमुक्त होगी। बेसिक ग्राण्ट जो कुल एलोकेशन का 50 प्रतिशत है वह 02 किश्तों में अवमुक्त किया जाना है, जिसकी पहली किश्त वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या- F-15(4)F.C.-XV/FCD/2020-25, दिनांक-17.06.2020 द्वारा रूपये 2438 करोड़ की अवमुक्त की गयी है। टाईड ग्राण्ट जो कुल आवंटन का 50 प्रतिशत है, उसकी धनराशि भी

Scanned with CamScanner

02 किश्तों में अवमुक्त की जाएगी, जो पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं पेयजल व स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के असेस्मेंट तथा रिकमन्डेशन पर आधारित होगा। उपरोक्त के लिए निम्नलिखित विषय पर प्रदेश द्वारा की गयी उपलब्धि पर टाईड फण्ड की द्वितीय की अवमुक्ति पर विचार किया जायेगा:-

(I) ग्रामीण निकायों द्वारा खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति एवं इसे कायम रखना।

(II) पेयजल की आपूर्ति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा वाटर रिसाईकिलिंग।

(III) जी.पी.डी.पी. एवं 15 वें वित्त आयोग के उपभोग की स्थिति को वेबसाईट पर अपलोड करने।

(IV) अन्य शर्त, जो जलशक्ति मंत्रालय द्वारा रखा जाना निश्चित किया जायेगा।

वर्ष 2021-22 के लिए अर्हता वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गयी उपलब्धि की समीक्षा पर आधारित होगा। ग्रान्ट अनटाईड फण्ड को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निकाय द्वारा उपभोग किया जा सकता है, परन्तु इसका वेतन व स्थापना पर व्यय प्रतिबन्धित है।

टाईड ग्रान्ट का व्यय अनिवार्यतया निम्नलिखित आधारभूत सेवाओं पर किया जाना है:-

(A) Sanitation and maintenance of Open-Defecation Free (ODF) status

(B.) Supply of Drinking Water, Rain Water Harvesting and Water Recycling.

3- ग्रामीण निकाय उपरोक्त दोनों मदों (A,B) में टाईड ग्राण्ट का 50-50 प्रतिशत धनराशि ईयरमार्क एवं व्यय करेंगे। यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा एक मद में सेंचुरेशन का स्तर प्राप्त कर लिया गया है तो वह धनराशि दूसरे मद में कार्य के लिए व्यय की जा सकती है।

4- भारत सरकार के पत्र संख्या F-15(4)F.C.-XV/FCD/2020-25, दिनांक-17.06.2020 द्वारा बेसिक ग्राण्ट (अनटाईड) की पहली किश्त के रूप में उत्तर प्रदेश के लिए 2483 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उपरोक्त पत्र में अंकित निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का आवंटन जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतों के मध्य अद्यतन राज्य वित्त आयोग की शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों के आधार पर होना है।

5- वित्त संसाधन (वित्त आयोग)एवं केन्द्रीय अनुभाग के पत्र संख्या- F-15(4)F.C.-XV/FCD/2020-25, दिनांक 17.06.2020 के द्वारा यह संसूचित किया गया है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि का वितरण पंचायती राज संस्थाओं के मध्य निम्न आधारों पर किया जायेगा:-

(I) पंचायती राज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

(II) उपर्युक्तानुसार जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा।

(III) जिले में क्षेत्र पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल धनराशि का क्षेत्र पंचायतों के मध्य बंटवारा 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या 2011 को भार देते हुए किया जायेगा।

(IV) जिलें में ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध धनराशि का बंटवारा ग्राम पंचायतों के मध्य 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या 2011 को भार देते हुए किया जायेगा।

(V) प्रदेश को प्राप्त बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि 243800 लाख में उपर्युक्त मानकों के आधार पर विभिन्न स्तर की ग्रामीण निकायों के मध्य निम्नवत आवंटन बनता है:-

1. ग्राम पंचायत हेतु 170660.00 लाख
2. क्षेत्र पंचायत हेतु 36570.00 लाख
3. जिला पंचायत हेतु 36570.00 लाख लाख।

6- उपरोक्त मानकों के आधार पर ग्राम पंचायतों (58174) हेतु वर्ष 2020-21 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान का आवंटन जनपदवार संलग्नक-1 पर दिया गया है तथा ग्राम पंचायत वार विवरण वेबसाईट www.panchayatiraj.up.nic.in पर अपलोड किया गया है। क्षेत्र पंचायत (821) को अनुमन्य धनराशि संलग्नक-2 पर है तथा जिला पंचायतों (75) को अनुमन्य धनराशि संलग्नक-3 पर है।

7- पंचायती राज मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत संयुक्त निर्देश दिनांक 10.06.2020 के अनुसार पंचायत भवन का निर्माण प्रथम वरीयता पर है। दूसरी प्राथमिकता ग्राम पंचायत में अवस्थित शासकीय भवनों व अवस्थापना सुविधाओं के मरम्मत व रखरखाव की है। उदाहरण के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सहकारिता भण्डारण बीज एवं फर्टिलाइजर विक्रय केन्द्र। यह वरीयता इसी वर्ष के लिए लागू है। इस क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.06.2020 के अनुसार प्रदेश की 26318 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है, जिन्हें 14वें वित्त आयोग की उपलब्ध धनराशि तथा 15वें वित्त आयोग की अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि से वरीयता पर पूर्ण करते हुए संतृप्त किया जाना है। ग्राम पंचायत भवन निर्माण में 50 प्रतिशत की धनराशि केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा से लिया जाना है। अगली वरीयता स्वयं सहायता समूह व इससे संबंधित संस्थाओं के लिए कार्य

Scanned with CamScanner

स्थल/अवस्थापना सुविधाओं के विकास (अधिकतम लागत 15 लाख) विशेष कर उन पंचायत भवनों में जहां पंचायत भवन अथवा इस तरह के सामुदायिक संरचनाएं नहीं हैं। इस तरह स्थापित कम्युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी इवेंट्स के लिए उचित किराये के आधार पर भी देने की व्यवस्था की जा सकती है। यह संरचना मनरेगा से 15वें वित्त आयोग की धनराशि से कन्वर्जेश करते हुए निर्मित करायी जायेगी। इन कार्यों के लिए मनरेगा में वर्क आई.डी. जनरेट कराते हुए कार्यवाही की जाएगी।

8- पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था को लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही मेकर और चेकर व अप्रूवर द्वारा की जाएगी:-

क्रम सं0	ग्रामीण निकाय	मेकर	चेकर	अप्रूवर
1	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव	ग्राम पंचायत प्रधान	ए.डी.ओ. पंचायत
2.	क्षेत्र पंचायत	खण्ड विकास अधिकारी	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	मुख्य विकास अधिकारी
3.	जिला पंचायत	अपर मुख्य अधिकारी	अध्यक्ष जिला पंचायत	निदेशक, पंचायती राज

यहां यह स्पष्ट किया जाना है कि पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था धनराशि के अन्तरण के लिए ही है। वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त ही पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से धनराशि अंतरित की जानी चाहिए।

9- पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था को ग्रामीण निकायों के विभिन्न स्तरों पर लागू करने का प्रयास एक लम्बे समय से चल रहा है, परन्तु कतिपय त्रुटिपूर्ण निर्णयों की वजह से यह अभी भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इनमें मुख्य वजह यह है कि ग्रामीण निकायों के स्तर पर विभिन्न स्कीमों की धनराशि एक ही खाते में है। पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक स्कीम के लिए राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक पृथक बैंक खाता अनिवार्य है। चूंकि केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि पहली बार जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत को अंतरित की जा रही है। अतः स्वाभाविक तौर पर उनका नया खाता इस योजना के लिए खुलेगा, जो पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से राज्य स्तरीय खाते से लिंक होगा। ग्राम पंचायतों को भी पृथक् बैंक खाता 15वें वित्त आयोग की धनराशि के लिए खोलना है। उपरोक्त खाता उसी बैंक शाखा में होना चाहिए जिस बैंक शाखा में ग्राम निधि का खाता संचालित है और यह नया खाता राज्य स्तरीय पी.एफ.एम.एस. खाते के साथ मैप कर रजिस्टर किया जाना चाहिए। केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अगले 05 वर्ष तक

Scanned with CamScanner

लगभग 50000 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। अतः पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था को पूर्णतः लागू करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पृथक् बैंक खाता की व्यवस्था, जो पी.एफ.एम.एस. में मैप हो आवश्यक है। राज्य स्तर पर केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रशासनिक मद की धनराशि की अनुमन्यता होने पर प्रशासनिक मद हेतु एक पृथक खाता कालांतर में खोला जाना चाहिए।

10- पी.एफ.एम.एस व्यवस्था को लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों के स्तर पर लागू करने के लिए निदेशालय में तैनात निम्नलिखित कन्सल्टेंट जिम्मेदार होंगेः-

(I) अभिषेक श्रीवास्तव (मोबाईल संख्या-9554455554)

(II) रितेश शर्मा (मोबाईल संख्या-8800690461)

जिला पंचायत स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए श्री प्रवीण कुमार, उप निदेशक, पंचायत (मोबाईल सं0-9415151295) उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था को लागू करने में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई के निराकरण के लिए सम्बन्धित कन्सल्टेंट से सम्पर्क किया जा सकता है। पंचायती राज निदेशालय स्तर पर इस शासनादेश में दिए गए निर्देशों व व्यवस्था को लागू करने के लिए वित्त नियंत्रक व निदेशक, पंचायती राज उत्तरदायी होंगे। पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था में यह आवश्यक है कि किसी अधिकारी, जो मेकर अथवा चेकर के रूप में कार्य कर रहा है, उसके स्थानान्तरण के उपरान्त जो भी प्राधिकारी अप्रूवर के रूप में नामित हैं उन्हें इस खाते को स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा संचालित न किया जा सके इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। सम्बन्धित स्थानान्तरित अधिकारी की भी यह जिम्मेदारी है कि स्थानान्तरण के उपरान्त इस व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित कर लिया जाये। ऐसा न करना वित्तीय अनियमितता विषयक व क्रिमिनल ऐक्शन आमंत्रित करेगा। किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर योजनान्तर्गत सिंगल एकाउण्ट संचालित नहीं किया जायेगा।

11- उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार के व्यीय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्था यी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीयकृति प्राप्तह की जानी आवश्यनक होय उन मामलों में व्य य करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

12- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त् संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/आर0जी0-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

13- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-15वें वित्त आयोग- 0301- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

14- उपरोक्तानुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु अवमुक्त प्रथम किश्त की बुनियादी अनुदान (अनटाइड फण्ड) की कुल धनराशि रू. 2438.00 करोड़ को निम्नानुसार संलग्न फाण्ट के अनुसार उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं	पंचायती राज संस्थाएं (अनुपात)	धनराशि रू. में
1	जिला पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/-
2	क्षेत्र पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/-
3	ग्राम पंचायत (70 प्रतिशत)	17,06,60,00,000/-
योग		24,38,00,00,000/-

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1/149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

29.6.20

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,प्रथम/ आडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- समस्त मण्डलायुक्त।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

5- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।

Scanned with CamScanner

6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।

8- संबंधित बैंकों को।

9- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2

11- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।

12- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।

13- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

29.6.20

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner